



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 18.04.2021

1-थाना जारचा पुलिस द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 पेटी बीयर व 02 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 17/4/2021 थाना जारचा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्त पवन कुमार पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम ततारपुर थाना जारचा व संजय कुमार पुत्र मंगत सिंह ग्राम ततारपुर थाना जारचा को एनटीपीसी चौकी गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 8 पेटी बीयर किंगफिशर, 02 पेटी 08 पीएम अंग्रेजी शराब व गाड़ी i 10 up 14 CL 8499 बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1 पवन कुमार पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम ततारपुर थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर
- 2 संजय कुमार पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम ततारपुर थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0 आ0 स0 78/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण-

1. 8 पेटी बीयर किंगफिशर व 02 पेटी 08 pm अंग्रेजी शराब
2. गाड़ी i 10 up 14 CL 8499



2- थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पिता को गोली मारकर घायल करने वाले प्रेमी व उसका एक साथी घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 14.04.2021 को थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस को एक व्यक्ति को सै0 50 मेट्रो स्टेशन के तिराहे के पास गोली लगने की सूचना मिली, पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर ज्ञात हुआ कि घायल कृष्ण कुमार पुत्र बालकर राम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम भोजपुर थाना कटरा शाहजहाँपुर वर्तमान पता मुकेश यादव का मकान गली नं0 12 ग्राम होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा में अपने परिवार के साथ रहता है तथा माली का काम करता है, घायल कृष्ण कुमार अपनी मोपेड से मेघदुतम अपार्टमेन्ट सेक्टर 50 नोएडा जा रहा था कि सै0 50 मेट्रो स्टेशन के तिराहे के पास पीछे से काली पल्सर पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा अचानक गोली मार कर घायल कर दिया गया, मौके पर पहुँची पुलिस द्वारा घायल को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया तथा घायल की पत्नी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 218/2021 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 18.04.2021 को सै0 76 मेट्रो स्टेशन के नीचे से अभियुक्त (1) राहुल पुत्र लाला राम कश्यप निवासी गली नं0 12 ग्राम होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा थाना सेक्टर 49 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर 2. प्रवेद पुत्र चन्द्रपाल जाटव निवासी ग्राम बीहरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर वर्तमान किरायेदार राजेन्द्र का मकान ग्राम मोरना थाना सेक्टर 24 नोएडा को घटना में प्रयुक्त की गई मोटर साइकिल एफजेड कम्पनी रंग हरा काला जिस पर यूपी 13 एस1962 की नम्बर प्लेट लगी थी, घटना के समय अभि0 प्रवेद द्वारा पहना हुआ हेलमेट सहित गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रम- अभियुक्त राहुल ने बताया कि मैं व घायल व्यक्ति की लडकी आपस में प्यार करते हैं उसने उसकी शादी बरेली में तय कर दी है। जिससे नाराज होकर मैंने अपने दोस्त प्रवेद व अंकित के साथ मिलकर लडकी के पिता को जान से मारने की नियत से गोली मार दी थी।

अभियुक्तो का विवरण-

1. राहुल पुत्र लाला राम कश्यप निवासी गली नं0 12 ग्राम होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा थाना सेक्टर 49 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. प्रवेद पुत्र चन्द्रपाल जाटव निवासी ग्राम बीहरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर वर्तमान किराये दार राजेन्द्र का मकान ग्राम मोरना थाना सेक्टर 24 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 218/2021 धारा 307/34/120बी/482 भादवि0 बनाम राहुल, प्रवेद व अंकित थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व हेलमेट



3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों 1. कोटिल्य शर्मा पुत्र ललित मोहन शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट मेडू थाना हाथरस जंक्शन हाथरस वर्तमान पता जी 253 10 ऐवेन्यू गौर सिटी 2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर 2. राजा सक्सेना पुत्र श्री रंगबिहारी सक्सेना निवासी वार्ड- 8 निकट रामदेव मन्दिर अनुपगढ राजस्थान वर्तमान पता जी 253 गौर सिटी 2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को पंचशील ग्रीन 1 सोसाइटी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तो का विवरण-

1. कोटिल्य शर्मा पुत्र ललित मोहन शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट मेडू थाना हाथरस जंक्शन हाथरस वर्तमान पता जी 253 ऐवेन्यू गौर सिटी 2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2. राजा सक्सेना पुत्र श्री रंगबिहारी सक्सेना नि0 वार्ड- 8 निकट रामदेव मन्दिर अनुपगढ राजस्थान वर्तमान पता जी 253 ऐवेन्यू गौर सिटी 2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 137/2020 धारा 420/467/468/471/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 492/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर



4- थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 123/2021 धारा 363 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ मोगली निवासी बाबा हैल्थ कल्ब साईं मंदिर के पास मकनपुर थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद को सुदामापुरी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

विनोद कुमार उर्फ मोगली नि0 बाबा हैल्थ कल्ब साईं मंदिर के पास मकनपुर थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 123/2021 धारा 363,366 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर



5-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा ओएलएक्स पर मोबाइल बेचने के नाम पर बताये स्थान पर बुलाकर लूटपाट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से घटना मे प्रयुक्त सेन्ट्रो कार, 02 मोबाइल,02 अवैध चाकू व 22,00 रूपये बरामद।

दिनांक 17.04.2021 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा आईफोन-एक्स मोबाइल को ओएलएक्स पर अपलोड कर वादी को मोबाइल दिखाकर बेचने के बहाने सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर 8,000 हजार रूपये छीन कर ले जाने वाले अभियुक्तों 1.विशाल पुत्र सिंघराज गुर्जर नि0 बी-27 नेहरू गार्डन खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद 2-अरून पुत्र वेद प्रकाश यादव निवासी म0न0 एफ-23 सरस्वती विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद को स्थल ग्लोबल मीडिया हाऊस के सामने नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त सेन्ट्रो कार रंग सफेद नम्बर डीएल 3 सीए क्यू 9486, 01 आइफोन मोबाइल, 01 वीवो फोन, 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है, लूटे गये 8,000 रूपये में से 2200 रूपये बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.विशाल पुत्र सिंघराज गुर्जर निवासी बी-27 नेहरू गार्डन खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद
2. अरून पुत्र वेद प्रकाश यादव निवासी म0न0 एफ-23 सरसवती विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 334/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर 20 नोएडा बनाम विशाल
2. मु0अ0सं0 335/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर 20 नोएडा बनाम अरून
3. मु0अ0सं0 330/2021 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. सेन्ट्रो कार रंग सफेद नम्बर डीएल 3 सीए क्यू 9486,
2. 01 आइफोन मोबाइल,
3. 01 वीवो फोन,
4. 02 अवैध चाकू
5. लूटे गये 8,000 रूपये में से 2200 रूपये



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू/रविवार के दिन लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 18.04.2021 को 446 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 56,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमे 05 व्यक्तियों पर संशोधित 1000 रुपये की दर से चालान किया गया। 711 वाहनों का चालान करते हुए कुल 37,300 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 06 वाहनों को सीज भी किया गया।

63 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 13 अभियोग पंजीकृत किये गये।

